

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 149 / 16

संस्थापन दिनांक:-11 / 04 / 16

फाईलिंग नं. 233504000482016

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

बबलू पिता भैयालाल पटवारी
 उम्र 31 वर्ष, निवासी आवरिया,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 29.05.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498-ए, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 19.03.2016 को समय रात्रि करीब 08:00 बजे फरियादिया का घर ससुराल ग्राम आवरिया थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत श्रीमती ज्योतिबाई के पति होते हुए उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता की एवं फरियादी ज्योति को हाथ मुक्के व लात से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिवास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी का विवाह अभियुक्त से करीब 5 वर्ष पहले हुआ था। शादी से उसकी एक बेटी है। अभियुक्त उसे शादी के बाद से ही शराब पीकर घरेलू छोटी छोटी बातों पर से आये दिन गाली गुप्तार कर मारपीट कर प्रताड़ित करता था। दिनांक 19.03.2016 को रात्रि करीब 8 बजे अभियुक्त ने फरियादी के साथ गाली गुप्तार कर हाथ मुक्के एवं लात से मारपीट कर जमीन पर गिरा दिया। मारपीट से उसे गले, दांहिने हाथ की कोहनी, बांये हाथ के पंजे के पीछे चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 143/16 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त

को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र प्रेषित किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी श्रीमती ज्योतिबाई के पति होते हुए उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता की ?
2. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी ज्योति को हाथ मुक्के व लात से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
4. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
5. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 04 का निराकरण

5 कलाबाई (अ.सा.-3), नकुल (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त बबलू की शादी ज्योति से हुई थी। कलाबाई (अ.सा.-3) ने यह भी बताया है कि उसकी बेटी फरियादी ज्योति और उसका दामाद अच्छे से रह रहे थे लेकिन बाद में झगड़ा हो गया इसलिए उसकी बेटी ने थाने में रिपोर्ट कर दी थी। नकुल (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि उसकी बहन फरियादी ज्योति और अभियुक्त का आपस में झगड़ा चलता था जिस वजह से उसकी बहन ने घटना की रिपोर्ट लेख करा दी थी। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त बबलू फरियादी ज्योति को गाली गलौच कर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।

6 स्वतंत्र साक्षी सुनील (अ.सा.-1), सहदेव (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वे अभियुक्त एवं फरियादी को जानते हैं लेकिन घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उपर्युक्त साक्षीगण से भी अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। फलतः अभियोजन को उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

7 सावित्री (अ.सा.-5) जो कि अभियुक्त की मां है, उसके द्वारा यह बताया गया है कि अभियुक्त फरियादी को अच्छे से रखता था, तबीयत खराब होने के कारण फरियादी की मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्त ने कभी भी उसे परेशान नहीं किया। साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त शराब पीकर फरियादी को मारपीट एवं गाली गलौच कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

8 प्रकरण में साक्षी कलाबाई (अ.सा.-3) फरियादी की मां, नकुल (अ.सा.-4) फरियादी का भाई है। विचारण के दौरान फरियादी की मृत्यु हो चुकी है। फरियादी के परिवार के सदस्य कलाबाई एवं नकुल ने भी अभियोजन कथा के अनुरूप कथन नहीं किये हैं। अभिलेख पर अभियुक्त द्वारा फरियादी ज्योति की मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने एवं उसे जान से मारने की धमकी दिये जाने एवं घटना दिनांक को फरियादी की मारपीट कर उसे उपहति कारित किये जाने के संबंध में साक्ष्य का नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं माने जा सकते।

विचारणीय प्रश्न क. 05 का निराकरण

9 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर श्रीमती ज्योतिबाई के पति होते हुए उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता की एवं फरियादी ज्योति को हाथ मुक्के व लात से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त बबलू को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 323, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।
तथा दिनांकित कर घोषित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)